



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 2019/00033

जी0सी0एम0एस0 संख्या- 60/2019

दायर दिनांक- 05.11.2019

निर्णय दिनांक- 27.12.2023

1. पाबूराम पुत्र लादू
2. प्रभूराम पुत्र लादू
सर्वजाति बावरी, निवासीगण करकेड़ी तहसील रूपनगढ़
3. गीता पुत्री लादू पत्नि प्रभूराम
4. फूल देवी पुत्री लादू पत्नि मंगलाराम
सर्वजाति बावरी, निवासीगण भड़सिया तहसील परबतसर जिला नागौर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-:1. श्री शांतिलाल ढेल, अधि0 प्रार्थीगण

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

-:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 183 रकबा 16 बीघा भूमि 13 बिस्वा अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पिता लादू पुत्र लालू जाति बावरी के समय से 50-60 वर्षों से अधिक समय से निर्विवाद रूप से अधिकार आधिपत्य कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि पर सतत् निरन्तर अधिकारपूर्वक आधिपत्य में चले आ रहे हैं। संवत् 2031, 2032 व 2033 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थीगण के पिता का नाम बतौर काश्तकार के रूप में दर्ज है जिसकी पुष्टि पटवार हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक करकेड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 से सिद्ध होता है। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के खाते में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वर्तमान ख0न0 183 के भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल अनुसार एकीकरण पूर्व ख0न0 782 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा थे जो कि संवत् 2010 से 2019 तक की खतौनी बन्दोबस्त में सप्तत्रयषि ब्राह्मण के नाम गलत रूप से इन्द्राज किया हुआ था। इस तरह से संवत् 2020 के एकीकरण की जमाबंदी में गलत रूप से सप्तत्रयषि ब्राह्मण के नाम से दर्ज किया हुआ था जबकि कब्जा प्रार्थीगण के पिता लादू पुत्र लालू का चला आ रहा था। सम्वत् 2022 से 2025 की जमाबन्दी में सप्तत्रयषि ब्राह्मण के नाम से दर्ज खाता संख्या 212/207 सम्पूर्ण खाते को विलानाम दर्ज कर दिये जाने का इन्द्राज का अंकन है। ख0न0 183 रकबा 16 बीघा भूमि 13 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि आवंटन नियमन हेतु प्रपत्र संख्या 4 प्रार्थीगण के पिता लादू पुत्र लालू के नाम भरा गया था तथा इसी खाते में खसरा नम्बरान की भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटन/नियमन की गयी थी।



21/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ब्राह्मण के नाम का खाता सम्पूर्ण विलानाम दर्ज करने के आदेश हो जाने तथा आदेश अंकन सम्बन्ध 2022 से 2025 की जमाबन्दी में कर दिये जाने के बावजूद भी गलत रूप से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां गलत इन्द्राज जमाबन्दियों में बदस्तूर जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा दर्ज किये जाने बावत् एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार बनाम सप्तऋषि ब्राह्मण के उनवान से राजस्व वाद संख्या 88/2018 प्रस्तुत जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को निर्णय कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जो भूमि खसरा नम्बर 183 निरन्तर 50-60 वर्षों से अधिक समय से अधिकारस्वरूप आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि पर सतत वर्णित भूमि के विधि प्रावधानों के अनुसार कानूनी खातेदार काश्तकार हो चुके हैं तथा भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं। अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने के कारण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। प्रार्थीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि पर स्वत्व अधिकार, आधिपत्य परिपक्व होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रार्थीगण विधि प्रभाव से खातेदार बन चुके हैं। वाद वर्णित भूमि का गलत रूप से अप्रार्थी के खातेदारी में अंकन के स्थान पर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदार हो जाने तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की जानी चाहिए तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब प्राप्त। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 01 में ख0न0 183 रकबा 16-13बीघा (2.6949 है0) राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या 01 में ख0न0 183 रकबा 16-13बीघा (2.6949 है0) भूमि सिवायचक दर्ज होने से किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने हेतु पैरोकार सरकार स्वतंत्र है। अतः प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं बनता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करने, उपयोग-उपभोग में बाधाकारित नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार) ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने बताया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है तथा इससे राजहित प्रभावित होता है। प्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से इस भूमि पर काबिज होना चाहते हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र को भारी हर्जाने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है, इससे राजहित भी प्रभावित हो रहा है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनका खातेदारी अधिकार सिद्ध हो सके। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

23/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
जनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।



सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)